



न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर केम्प सागर १००५०१

1

निगरानीकर्ता

नन्हें भाई वल्द लुखे बसोर
ग्राम हटरी तखील व जिला दमोह १००५०१

// बनाम //

फदलू पिला भैयालाल बसोर
साकिन टोरी तखील व जिला दमोह १००५०१

अनावेदक

39-II/07
8 नवम्बर
29/12/06
श्री. वि. प्र. सा. म. प्र. ग्वालियर
दि. 02/12/06
अधीनस्थ न्यायालय
ग्वालियर

पुनरीक्षणकर्ता/निगरानी धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता :-
कमिश्नर सागर संभाग सागर के अपील प्र. क्रं. 65/अ/56/04-05
दिनांक 28/10/06 से पीड़ित होकर अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त
अनुविभागीय अधिकारी दमोह के प्रकरण क्रं. 35/अ/56/2004-05 आदेश
दिनांक 25/05/2005 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की थी जिसका आदेश
विधि तथा विधि का प्रभाव रखे वाली प्रथा के प्रतिकूल तथा सारवा-
विवाधक का अवधारणा नहीं हो सका है। प्रक्रिया संबंधी गम्भीर
स्य से विनिश्चय में त्रुटि हुई है इसलिये समयावधि में यह निगरान
पुनरीक्षण विधि एवं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करता है :-

21
22-12-06

इ. न. 18
29/12/06

:- संक्षिप्त विवरण :-

यह कि, ग्राम सलैया हटरी के पूर्व कोटवार हरिबा
मृत्यु हो जाने पर ग्राम सलैया हटरी में कोटवार का पद रिक्त
गया, पद रिक्त होने से तखीलदार मण्डल अमाना द्वारा आदेश
कर दिनांक 27/02/03 को निगरानीकर्ता को अस्थायी कोटवा
किया गया तथा अपना कार्य सुचारु रूप से करता रहा, परन्तु
आदेश के विरुद्ध अपील आदेश दिनांक 06/07/04 को उक्त नि
कर्ता की अस्थायी नियुक्ति जो नियमित होना थी उसे नि
प्रकरण रिमाण्ड किया गया, प्रकरण रिमाण्ड होने पर पुनः
महोदय दमोह द्वारा इशतहार दिनांक 16/09/04 क्रं. अ
को कोटवार की नियुक्ति बावद इशतहार जारी हुआ


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

15

प्रकरण क्रमांक निगरानी 39-दो/2007

जिला दमोह

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि. आदि के हस्ताक्षर
07-04-15 सागर कैम्प	<p>आवेदक पक्ष को नियत पेशी दिनांक का भेजा गया नोटिस तामील उपरांत वापिस प्राप्त। आवेदक पक्ष सूचना उपरांत अनुपस्थित। आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगवाई गई परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। बाद पुकार प्रकरण आवेदकपक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	